(58)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
[illegible], जयपुर

क्रमांक एफ.11(8) आरक्षण/सा.न्या.अ.वि./08/5734-68 जयपुर, दिनांक 25/2/09

समस्त जिला कलक्टर

विषय- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के बारे में स्पष्टीकरण।

महोदय,

राज्य सरकार के ध्यान में ऐसे अनेक प्रकरण लाये गये है, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा नियमों को ध्यान में रखकर जारी नहीं किये जाते है। परिणामस्वरूप अनेक वैधानिक जटिलताएँ उत्पन्न हो जाती है।

विभाग के समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 23472-48 दिनांक 4.4.90, 43560-636 दिनांक 13.11.2000 एवं 8454-83 दिनांक 21.2.04 द्वारा भी आपको जाति प्रमाण-पत्र जारी करने एवं जाति प्रमाण-पत्रों का सत्यापन संबंधी अनुदेश भिजवाये गये थे। तत्पश्चात भी कतिपय मामलों में उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः आपको पुनः उक्त पत्रों की प्रतियां भेजकर अनुरोध किया जाता है कि आप प्राधिकृत अधिकारियों को अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व राजस्व रिकार्ड, अन्य अभिलेख एवं मौके की आवश्यक एवं विश्वसनीय जांच करने के पश्चात् ही अनुसूचित जाति/जनजाति के जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश प्रदान करें। प्राधिकृत अधिकारी आवेदक की जाति से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही जाति प्रमाण-पत्र जारी करें।

सुलभ संदर्भार्थ अनुसूचित जाति व जनजाति की वर्तमान प्रभावी सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। जाति प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व जारीकर्ता प्राधिकारी से प्रतिवेदक अधिकारी की रिपोर्ट एवं उक्त सूची का भी समुचित अध्ययन कर स्वंय के स्तर पर संतुष्ट हो लें। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 के बाद राज्य में जातियों की सूची में किसी प्रकार का परिवर्तन (change) नहीं हुआ है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय

[signature]

शासन उप सचिव

[illegible]